उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग,

लखनऊ–226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः 331–डीएस–अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2021 **दिनांकः 05 अक्टूबर, 2021**

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–412/निआस/189/2020 दिनांक 01.07.2021 द्वारा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, महोबा के विशेष सम्प्रेक्षा पर्यवेक्षण के कार्य हेतु श्री अविनाश चन्द्र पाण्डेय उप महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा) के दिनांक 31.08.2021 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप श्री पाण्डेय के स्थान पर एतदद्वारा श्री वितराग कोठारी (वी–705), लेखाधिकारी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को नामित किया जाता है।

उक्त कार्यालय ज्ञाप के शेष अन्य बिन्दु यथावत् रहेंगे।

निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः 331–डीएस–अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2021 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा को इस आशय के साथ प्रेषित कि वांछित अभिलेख विशेष सम्प्रेक्षा दल को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण), बांदा क्षेत्र, दविविनिलि, बांदा।
4. श्री वितराग कोठारी, लेखाधिकारी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को विशेष सम्प्रेक्षा का पर्यवेक्षण हेतु प्रेषित।
5. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, दविविनिलि, महोबा को तत्काल विशेष सम्प्रेक्षा पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दविविनिलि, महोबा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विशेष सम्प्रेक्षा दल को वांछित समस्त अभिलेख सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपलब्ध कराते हुए विशेष सम्प्रेक्षा कार्य में सहयोग प्रदान करें तथा विशेष सम्प्रेक्षा दल के ठहरने आदि की समुचित व्यवस्था करने का कष्ट करें।
7. श्री अमित कुमार यादव, अधिशासी अभियन्ता/श्री झब्बूराम, अधिशासी अभियन्ता/श्री योगेन्द्र कुमार, सहायक लेखाधिकारी/श्री अखिलेश विश्वकर्मा, लेखाकार/श्री राम जनम, सहायक लेखाकार/श्री विमलेश कुमार मौर्या, सहायक लेखाकार को इस निर्देश से प्रेषित है कि कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तत्काल विशेष सम्प्रेक्षा प्रारम्भ करें तथा आवश्यक ऑनलाइन रिपोर्ट व अभिलेखों का परीक्षण कर शीघ्रातिशीघ्र कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही सम्भव हो सके।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार राय)
उप सचिव (02अ)